

सूचना :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 के अनुसार वर्ष 2019–20 में शासन/विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु विभाग में कार्यरत कार्मिकों की, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु वृत्त स्तर से प्राप्त सेवा सम्बन्धी विवरण के आधार पर तैयार की गई पात्रता सूची व उपलब्ध/सम्भावित रिक्तियों का विवरण विभागीय वैबसाईट [www.minorirrigation.uk.gov.in](http://www.minorirrigation.uk.gov.in) पर अपलोड किये जाने हेतु जारी की जा रही है। मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अन्तर्गत कार्मिकों की पदोन्ति के उपरान्त पदस्थापना व चुनावी आचार संहिता के दृष्टिगत स्थानान्तरण के फलस्वरूप मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

टॉ-

(प्रशान्त कुमार)

स्टाफ ऑफिसर,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
लघु सिंचाई भवन, लेन नं 3, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, नथनपुर, देहरादून।

संख्या २६१ /ल०सि०/स्था०-२३(५-स्थाना०)/२०२२-२३      दिनांक १७ मई २०२२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. श्री मातवर सिंह फर्स्वाण, नोडल अधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को संलग्नक की प्रति सहित इस निर्देश के साथ कि वे उक्त सूचनायें विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।  
(संलग्न : उक्तानुसार)
4. नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।

  
(प्रशान्त कुमार)

स्टाफ ऑफिसर,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।